



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2026/D-101

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 269263 दिनांक 28/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Paras Mal Soni S/o HARAK CHAND SONI	श्री सुवालाल पुत्र श्री तेजाराम भट्ट	74	166.66 SQ. YARD	Private	J P COLONY Sector/Block-	Name Transfer	पट्टा विलेख अतिरिक्त जिला कलेक्टर दक्षिण कृषि भूमि रूपांतरण ,जयपुर द्वारा दिनांक 30 .11.1988 को भूखंड संख्या 02 क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज का पट्टा विलेख श्री सुवालाल पुत्र श्री तेजाराम भट्ट के पक्ष में जारी किया गया है । श्री सुवालाल पुत्र श्री तेजाराम भट्ट ने ग्राम रामपुरारुपा में स्थित निजी खातेदारी की योजना जेपी कोलोनी के भूखंड संख्या ए -2 क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज को श्री गंगाराम पुत्र श्री हनुमान मीना को बेचान किया गया । श्री गंगाराम पुत्र श्री हनुमान मीना ने योजना



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

जेपी कोलोनी के भूखंड संख्या 2 क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज श्री मती पारसमणी सोनी पत्नी श्री पारसमल सोनी के पक्ष में बेचान किया गया। श्री मती पारसमणी सोनी पत्नी श्री पारसमल सोनी की मृत्यु दिनांक 07.02.2018 को हो चुकी है। ज्योति जैन पुत्री श्री पारसमल व श्री अर्पण जैन पुत्र श्री पारसमल ने योजना जेपी कोलोनी के भूखंड संख्या 74 (पुराना भूखंड संख्या ए-2 व ए-7) क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज को श्री पारसमल सोनी पुत्र हरकमल सोनी के पक्ष में हकत्याग किया गया। जविप्रा द्वारा योजना जेपी कोलोनी के भूखंड संख्या 74 श्री मती पारसमणी सोनी पत्नी श्री पारसमल सोनीके पक्ष में लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। सदस्यता सूचि में पुराना भूखंड संख्या ए-6 व नया भूखंड संख्या 74 पर श्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

मती पारसमणी
सोनी पत्नी श्री
पारसमल सोनी
का नाम अंकित है
। पट्टा विलेख में
भूखंड संख्या A-2
अंकित है । मौके
पर भूखंड संख्या
A-7 और 74 एक
ही भूखंड है,
पुराने भूखंडों की
संख्या में भिन्नता
है ।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Paras Mal Soni S/o HARAK CHAND SONI को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे । प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें ।